संख्या-107/2018/1828/41-2018-02(बजट)/2018

प्रेषक,

अखण्ड प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 26 मई, 2018

विषय- **जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड के होटल अलकनन्दा परिसर में 100 कक्षों के नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण की परियोजना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-568/6-1-1(912)/2018, दिनांक 01 मई, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड के होटल अलकनन्दा परिसर में 100 कक्षों के नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण की परियोजना के कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष 'व्यय वित्त समिति' प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा संस्तुत की गयी लागत रू0 26,54,74,000.00 (रूपये छब्बीस करोड़ चौवन लाख चौहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 5,00,00,000.00 (रूपये पॉच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/ 1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा। प्रायोजना का क्रियान्वयन 'व्यय वित्त समिति' की बैठक दिनांक 04 मई, 2018 के सम्बन्ध में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा निर्गत कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कराया जायेगा।

(2) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओ /विभागों/प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) परियोजना के निर्माण के पूर्व उत्तराखण्ड शासन, देहरादून से आवश्यक विधिक अनुमति एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) परियोजना में प्रस्तावित विशिष्ट प्रकृति के कार्य तथा प्रायोजना के ड्राइंग, डिजाइन, तकनीक, मानक एवं विशिष्टियों के सम्बन्ध में वहां की स्थलीय परिस्थितियों के अनुरूप तथा विभिन्न

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वैधानिक एवं पर्यावरणीय पहलुओं का परीक्षण इस सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा कर लिया जायेगा तथा समिति की संस्तुति के अनुरूप ही नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

(5) परियोजना में आई0पी0 कैमरा, ई0पी0ए0बी0एक्स0 सिस्टम एवं कम्प्यूटर नेटवर्किंग कार्य की आवश्यकता, औचित्य, स्पेसिफिकेशन एवं लागत के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा कार्यमदों की आवश्यकता, औचित्य, स्पेसिफिकेशन एवं लागत के सम्बन्ध में परीक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा समिति उक्त कार्यों हेतु पी0एफ0ए0डी0 की संस्तुत लागत की सीमा के अन्तर्गत जो न्यूनतम लागत संस्तुत करेगी, उस सीमा तक परियोजना की लागत संशोधित समझी जायेगी।

(6) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/ 2018/बी0-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज चार्ज देय नही होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे। कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की गुणवत्ता पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जायेगी, जिसका पर्यवेक्षण महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी। परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण कार्य में पर्यावरणीय मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रखरखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) कार्यदायी संस्था को प्रश्नगत कार्य के आगणन में उल्लिखित वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत नियमानुसार देय होगी तथा इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्तिच कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय।

3- उक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80- सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-518/दस-2018 दिनांक 26 मई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अखण्ड प्रताप सिंह)
विशेष सचिव

संख्या-107/2018/1828(1)/41-2018-02(बजट)/2018 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, यूनिट-2, देहरादून ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
10- क्षेत्रीय प्रर्यटक अधिकारी, मेरठ ।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(अखण्ड प्रताप सिंह)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in